

# अंचल अधिकारी का कार्यालय, मानगो।

(पत्रांक:-.....९१।.....)

प्रेषक,

अंचल अधिकारी,  
मानगो।

सेवा में,

अपर नगर आयुक्त,  
मानगो नगर निगम,  
जमशेदपुर।

मानगो, दिनांक 26/07/2024

विषय:-

श्री अरविन्द सिंह, गीता देवी, राजवल्लभ सिंह सत्यजीत सिंह, सर्वजीत सिंह, श्रीमती लगन देवी, तारा देवी रघुवंश सिंह, राम सिंह, श्याम सिंह, धनानन्द सिंह, आशा देवी, सुनीता देवी, अनिता देवी, सीमा सिंह, अमन व अंजली तथा **Samay Homes Pvt.Ltd.** द्वारा धारित भूमि का सत्यापन करने के संबंध में।

प्रसंग:-

आपका पत्रांक- 1380 दिनांक- 22.07.2024


महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक से राजस्व कागजातों के साथ जाँच कराया गया। प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार मौजा- अ0क्षे0 मानगो वार्ड नं0- 08 में भूमि की विवरणी निम्न प्रकार दर्ज है:-

क्र०	पंजी II रैयत का नाम	खाता संख्या	प्लॉट संख्या	रकवा	भाग वर्तमान-पृष्ठ संख्या	नामांतरण मुकदमा संख्या	हाल सर्वे 1978-1979 के अनुसार खतियान में दर्ज भूमि का विवरण
1	तारा देवी, पति-स्व राजेश्वर सिंह एवं रघुवंश सिंह राम सिंह श्याम सिंह धनानन्द सिंह, आशा देवी सुनीता देवी अनिता देवी, पिता-स्व राजेश्वर सिंह एवं सीमा सिंह, पति-स्व अरविन्द सिंह एवं अमन व अंजली, पिता-स्व अरविन्द सिंह	1108	4086	12.8 डि०	23-98	539 M Year 2016	उदय नारायण सिंह पिता दीप नारायण सिंह एक अंश व राजेश्वर सिंह पिता राम बहादुर सिंह व विध्या प्रसाद सिंह पिता भुनेश्वर सिंह
2	श्रीमति लगन देवी, पति-स्व: रणजीत सिंह	822	4085	9.01 डि०	12-157	392/ 2009-2010	इन्द्रजीत सिंह पिता देवनारायण सिंह
3	सत्यजीत सिंह, सर्वजीत कुमार सिंह, पिता-स्व0 राजनन्दन सिंह	203	4089	4.12 डि०	101-94	162/ 2019-20220	जगन्नाथ सिंह पिता वलदेव सिंह
4	राजवल्लभ सिंह, पिता-स्व. जगन्नाथ सिंह	203	4089	6.54 डि०	5-46	852/ 2003-2004	जगन्नाथ सिंह पिता वलदेव सिंह

5	MS SAMAY HOMES PVT LTD, निदेशक-RAJESH KUMAR SINGH son of Late Mangal Singh	822	4085	1.3 डि०	36-20	921 / Year 2014	इन्द्रजीत सिंह पिता देवनारायण सिंह
6	ARBIND KUMAR SINGH, पिता-LATE UMA SHANKAR SINGH एवं JYOTSNA SINGH, पति-LATE SAILENDRA SINGH एवं AKSHAY KUMAR SINGH, पिता-LATE SAILENDRA SINGH	203	4089	6.54 डि०	102-16	360 / 2019-2020	जगन्नाथ सिंह पिता वलदेव सिंह

पत्र में वर्णित भूमि C.N.T. ACT 46 के अन्तर्गत नहीं आता है।  
अतः जाँच प्रतिवेदन अग्रेतर कारवाई हेतु प्रेषित।

विश्वासभाजन  
  
 अंचल अधिकारी  
 मानगो।